Indian J. Soc & Pol. 03(01): 2016: 55-58 **ISSN 2348-0084 (P)**
ISSN 2455-2127 (O)

मानव अधिकार और संयुक्त राष्ट्र संघ

सन्तोष कुमार सिंह[1]
[1]प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र, चौरी बेलहा महाविद्यालय, तरवा, आजमगढ़ (उ0प्र0), भारत

ABSTRACT

मानव ने अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष किया है। इसलिए मानवाधिकारें को मान्यता प्रदान करने के लिए समय–समय पर अनेकों महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी। उदाहरण स्वरूप इग्लैण्ड में 1215 ई. में 'मैग्नाकार्टा बिल', 1628 ई0 में 'पिटीशन ऑफ राइट', 1679 में 'हैवियस कार्पस एक्ट' (बन्दी प्रत्यक्षीकरण बिल), 1688 में 'बिल ऑफ राइट' अमेरिका में 1776 ई. में स्वतन्त्रता सम्बन्धी उद्घोषणा, 1789 ई. में फ्रांसिसी स्वतन्त्रता की घोषणा, न्यूयार्क अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान की मानवाधिकारों और कर्तव्यों की घोषणा आदि। इन घोषणाओं को मानव अधिकारों का आधार स्तम्भ कहा जा सकता है। वर्तमान समय में प्रायः सभी लोकतान्त्रिक देशों ने अपने नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करते हुए उनकी सुरक्षा की पुष्टि संविधान द्वारा किये है। फिर भी मानवाधिकार जन साधारण के लिए आज भी मृगतृष्णा बने हुए हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में मानवाधिकार के सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है।

KEYWORDS : *अधिकार, मानवाधिकार, संयुक्त राष्ट्र संघ*

मानव ने अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष किया है। इसलिए मानवाधिकारें को मान्यता प्रदान करने के लिए समय–समय पर अनेकों महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी। उदाहरण स्वरूप इग्लैण्ड में 1215 ई. में 'मैग्नाकार्टा बिल', 1628 ई0 में 'पिटीशन ऑफ राइट', 1679 में 'हैवियस कार्पस एक्ट' (बन्दी प्रत्यक्षीकरण बिल), 1688 में 'बिल ऑफ राइट' अमेरिका में 1776 ई. में स्वतन्त्रता सम्बन्धी उद्घोषणा, 1789 ई. में फ्रांसिसी स्वतन्त्रता की घोषणा, न्यूयार्क अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान की मानवाधिकारों और कर्तव्यों की घोषणा आदि। इन घोषणाओं को मानव अधिकारों का आधार स्तम्भ कहा जा सकता है। वर्तमान समय में प्रायः सभी लोकतान्त्रिक देशों ने अपने नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करते हुए उनकी सुरक्षा की पुष्टि संविधान द्वारा किये है। फिर भी मानवाधिकार जन साधारण के लिए आज भी मृगतृष्णा बने हुए हैं।

अधिकार मानव जीवन के साथ घनिष्ठ रूप में जुड़ा हुआ है इसके अभाव में मनुष्य और पशु में अन्तर करना कठिन होगा क्योंकि अधिकार व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने के साथ–साथ समाजोपयोगी कार्य करने का अवसर प्रदान करते है। इसलिए प्रत्येक सभ्य समाज अपने नागरिकों को ऐसी दशाएं उपलब्ध कराता है जिससे वह अपना सर्वांगीण विकास करने के साथ–साथ सामाजिक विकास में सहायक बने।

सामान्यतया अधिकारों को व्यक्ति का ऐसा दावा माना जाता है जो समाज द्वारा स्वीकृत तथा राज्य द्वारा लागू किया गया हो। यह दावे या अधिकार व्यक्ति के लिए इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति अपना श्रेष्ठ रूप प्राप्त नहीं कर सकता है। लास्की ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि ''अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितिया है जिनके वगैर सामान्यतया कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता है।'' परन्तु मानवाधिकार की धारणा अन्य अधिकारों की अवधारणा से अधिक व्यापक है।

रेण्डम हाऊस इनसाइक्लोपीडिया में मानवधिकारों का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि 'अधिकार मनुष्य होने के नाते एक व्यक्ति के शक्तियों, अस्तित्व की शर्तो तथा प्राप्तियों के दावे होते है। ये वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य की प्रकृत्ति में निहित होते हैं तथा जो एक मनुष्य के जीने के लिए नितान्त आवश्यक होते हैं। ये व्यक्तियों के योग्यताओं के पूर्ण विकास के साथ–साथ मानवीय योग्यताओं, बुद्धि तथा चेतना के प्रयोग द्वारा अपने हितों और आवश्यकताओं को पूर्ण करने की आवश्यक शर्ते हैं।'

अल्बर्ट क्राइस्ट ने लिखा है ''आज मानवाधिकारों की बाते करते हुए मुख्यतः इन्ही बातों पर जोर देते हैं कि एक व्यक्ति की स्वतन्त्रता राज्य या कुछ पक्षपात पूर्ण व्यक्तियों द्वारा बाधित न होने देना, कार्य करने और कमाने की आजादी बोलने और अध्ययन की आजादी, अपनी सरकार बनाने में व्यक्ति का मुक्त योगदान। सिद्धान्ततः वर्तमान में इन्हें ही मानवधिकार के रूप में जाना जाता है।

मानव अधिकार की यह अवधारणा नवीन नहीं है बल्कि इसकी जड़े अतीत की गहराईयों में छिपी हुई हैं। यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं होगा कि मानवाधिकार मानवीय सभ्यता के अस्तितव में आने के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा है। भारत में मानवाधिकारों (मानवता) के प्रति सजगता वैदिक काल से ही देखने को मिलती है तो पाश्चात्य जगत में प्लेटो आदि दार्शनिकों ने अपनी कृतियों में मानवाधिकारों को स्थान दिया है। यूनानी नगर राज्यों तथा रोमन लॉ में नागरिकों के कई अधिकारें को मान्यता दी गयी थी। जैसे अभिव्यक्ति की

1: Corresponding Author

स्वतन्त्रता , विधि के समक्ष समानता का अधिकार, व्यापार व व्यवसाय का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार आदि।(जैन, 2009)

मानव ने अपने अधिकारों के लिए सदैव संघर्ष किया है। इसलिए मानवाधिकारेां को मान्यता प्रदान करने के लिए समय–समय पर अनेकों महत्वपूर्ण घोषणाएं की गयी। उदाहरण स्वरूप इग्लैण्ड में 1215 ई. में 'मैग्नाकार्टा बिल', 1628 ई0 में 'पिटीशन ऑफ राइट', 1679 में 'हैवियस कार्पस एक्ट' (बन्दी प्रत्यक्षीकरण बिल), 1688 में 'बिल ऑफ राइट' अमेरिका में 1776 ई. में स्वतन्त्रता सम्बन्धी उद्घोषणा, 1789 ई. में फ्रांसिसी स्वतन्त्रता की घोषणा, न्यूयार्क अन्तर्राष्ट्रीय विधि संस्थान की मानवाधिकारों और कर्तव्यों की घोषणा आदि। इन घोषणाओं को मानव अधिकारों का आधार स्तम्भ कहा जा सकता है। वर्तमान समय में प्रायः सभी लोकतान्त्रिक देशों ने अपने नागरिकों को मूलभूत अधिकार प्रदान करते हुए उनकी सुरक्षा की पुष्टि संविधान द्वारा किये है। फिर भी मानवाधिकार जन साधारण के लिए आज भी मृगतृष्णा बने हुए है।

मानव अधिकार वर्तमान प्रजातान्त्रिक युग की बड़ी विशेषता कहे जा सकते हैं किन्तु एक ओर जहाँ लोगों में मानवाधिकारों के प्रति चेतना जागृत हुई है वहीं दूसरी ओर इनके हनन की घटनाएं भी तेजी से बढ़ रही है। प्राचीन काल में मानवाधिकारों की समस्या का सम्बन्ध केवल राष्ट्र विशेष के लोगों को आततायी शासकों से सुरक्षा देने मात्र से माना जाता था किन्तु बीसवी सदी के प्रारम्भ में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जो सम्पूर्ण विष्व समुदाय के लोगों को चाहे वे जिस प्रकार की शासन व्यवस्था के अधीन थे इस बात के लिए प्रेरित किया कि उनके जो मौलिक अधिकार हैं वे उन्हें मिलने चाहिए। इन घटनाओं में प्रमुख रूप से प्रथम विश्व युद्ध (1914–18) के दौरान आटोमन साम्राज्य द्वारा लाखों आर्मेनियाई लोगों का संहार, 1930 के दशक में हजारों लोगों का भुखमरी एवं राजनीतिक सजा का षिकार होना, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन नाजियों द्वारा लगभग 60 लाख यहूदियों एवं अन्य लोगों की हत्या आदि प्रमुख हैं। (*चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे*, दिसम्बर 2003,27)

यद्यपि द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद उस अत्याचार के जिम्मेदार लोगों को अन्तर्राष्ट्रीय युद्ध अपराध ट्रिब्यूनल के समक्ष लाया गया। उन लोगों पर लगे तमाम अभियोगों में मानवता के विरूद्ध अपराध भी शामिल था। यह एक नये वर्ग का अपराध था जिसमें गुलाम बनाना, निर्वासन, बन्दीकरण यातना बलात्कार तथा अन्य कृत्य शामिल थे। आज मानव जाति के समक्ष सबसे बड़ी समस्या सम्मानपूर्वक जीवन यापन की है। पग–पग पर वह तिरष्कृत, असुरक्षित व उत्पीड़ित है। मानव जाति पर जितने कहर इन दिनों दाये जाने लगे है उतना शायद पहले कभी सुनने को नहीं मिला। सर्वाधिक पीडित तो आज नारी है। नारी उत्पीड़न की घटनाएँ द्रोपदी के चीर की तरह बढ़ रही है। आये दिन अपहरण, दहेज उत्पीड़न और बलात्कार की आग में झुलस रही महिलाएँ इसका ज्वलन्त उदाहरण हैं। नारी की रक्षा का भार ढोने वाली पुलिस स्वयं नारी को उत्पीड़ित कर रही है।(*चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे*, दिसम्बर 2003,28)

आज इसलिए मानव अधिकारों की सुरक्षा का विषय विश्व समुदाय के चिन्ता का विषय बनता जा रहा था। परिणामस्वरूप सर्वप्रथम 1942 में इस दिशा में प्रयास संयुक्त राष्ट्र सम्बन्धी घोषणाओं के रूप में किया गया। इसके उपरान्त 1942 ई. में वाशिंगटन सम्मेलन, 1943 ई. में मास्को सम्मेलन, 1943 ई. में ही डम्बार्टन ओक्स सम्मेलन आदि के माध्यम से भी

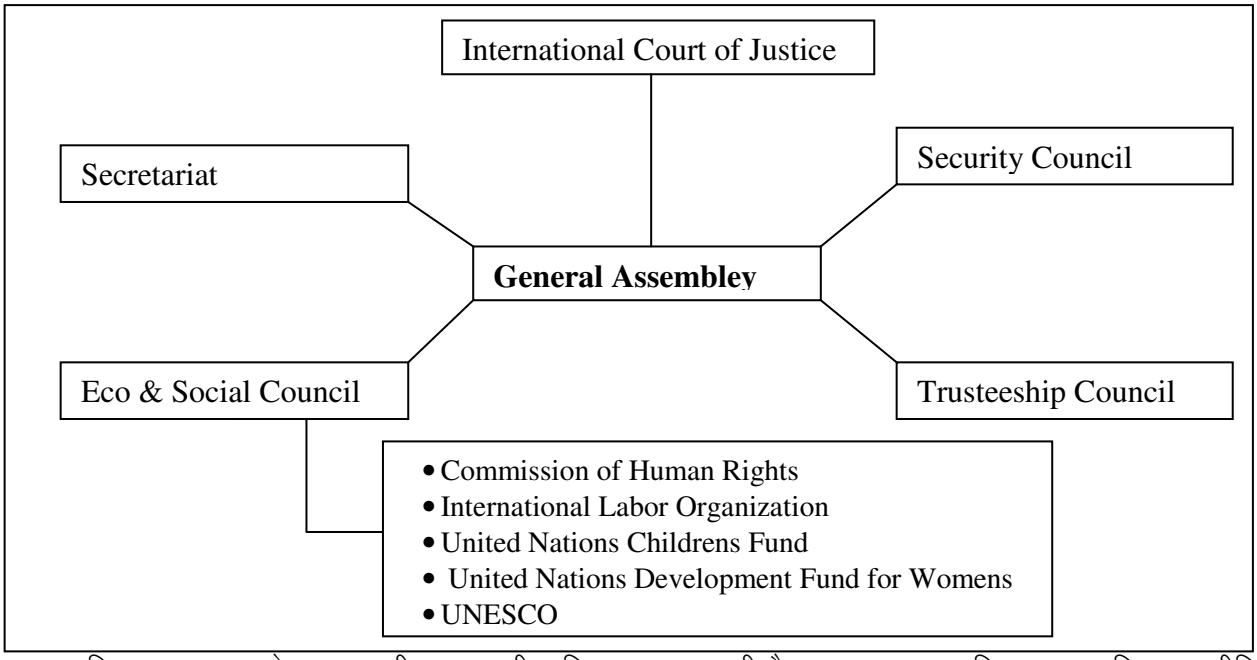

इस दिशा में प्रयास जारी रहा। मानव मूल्यों (अधिकारों) के सुरक्षा के लिए ही 24 अक्टूबर 1945 ई. को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया लेकिन उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानव अधिकारों सम्बन्धी कोई पृथक घोषणा नहीं की गयी थी किन्तु चार्टर में अनेक स्थानों पर मानव अधिकारों की चर्चा की गयी थी। राज्यों के बीच सक्रिय सहयोग तथा संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर के उद्देष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव अधिकारों का पृथक एवं स्पष्ट उल्लेख करना अपरिहार्य हो गया था। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के लगभग तीन वर्ष पश्चात महासभा के द्वारा 10 दिसम्बर 1948 को मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा–पत्र अपनाया गया जो अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप मानव अधिकारों के घोषणा की पहली और महत्वपूर्ण मिसाल है। इसकी प्रस्तावना में ''मानव जाति के जन्म, जाति, गरिमा व सम्मान तथा अधिकारों पर बल दिया गया है।(सिंह, 2015,238)

मानव अधिकारों के इस घोषणा–पत्र में कुल 30 अनुच्छेद हैं। जिन्हें 'मानवता के मैग्नाकार्टा' के नाम से सम्बोधित किया जाता है। इनमें प्रमुख हैं–

1. अनुच्छेद 1–2 में मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों के दर्शन को मान्यता दी गयी है अर्थात यह माना गया है कि व्यक्ति को अधिकार जन्म से ही प्रकृति द्वारा प्रदत्त होते हैं। इसलिए कहा गया है कि मनुष्य स्वतन्त्र पैदा होता है तथा गरिमा व सम्मान और विचारों के आधार पर समान होता है।

2. अनुच्छेद 3–15 तक जीवन, स्वतन्त्रता, व्यक्ति की संरचना, तथा विधि के समक्ष समानता आदि का उल्लेख किया गया है।

3. अनुच्छेद 16 में वयस्क पुरूषों तथा स्त्रियों को राष्ट्रीयता और धर्म के भेदभाव के बिना कुटुम्ब स्थापित करने के अधिकारों का वर्णन किया गया है।

4. अनुच्छेद 17 में प्रत्येक को अपने आय तथा सम्पत्ति का स्वामी बनने का अधिकार है।

5. अनुच्छेद 18 व 19 में धर्म, मत तथा विचारों की अभिव्यक्ति के विषय में स्वतन्त्रता प्रदान की गयी है।

6. अनुच्छेद 22–26 में मनुष्यों के सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारों का वर्णन किया गया है, समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गयी है। इन्हे व्यक्ति के आत्म सम्मान व उसकी स्वतन्त्रता और व्यक्तितत्व के विकास के लिए आवष्यक माना गया है।

7. अनुच्छेद 27 प्रत्येक व्यक्ति को समुदाय की सांस्कृतिक जीवन, कला तथा वैज्ञानिक प्रगति की क्रिया में स्वतन्त्रता पूर्ण भागीदारी का अधिकार देता है।

8. अनुच्छेद 28 प्रत्येक को एक ऐसे सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शामिल होने का अधिकार देता है। जिसमें इस घोषणा में दर्ज अधिकारों तथा स्वतन्त्रताओं को प्राप्त किया जा सकता हो।

9. अनुच्छेद 29 में व्यक्तियों के समाज सम्बन्धी कर्तव्यों का वर्णन है।

10. अनुच्छेद 30 नियमों के व्याख्या से सम्बन्धित है।

मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के बाद निम्नलिखित समझौतों को स्वीकार करके मानवाधिकारों की सुरक्षा के प्रयत्नों को उचित दिशा तथा शक्ति देने का प्रयास किया गया–

1. नरसंहार के अपराध को रोकने तथा सजा देने से सम्बन्धित समझौता 1948।

2. स्त्रियों के राजनीतिक अधिकारों पर प्रतिज्ञा–पत्र 1952।

3. आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिज्ञा–पत्र 1966।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानवाधिकारों के संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा–पत्र में मानवाधिकारों को चार रूपो (सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक) में प्रस्तुत किया गया है। वैसे मानवाधिकारों का सम्बन्ध मात्र मानवीय पक्ष की संवेदना, सहयोग और वैचारिक आदान–प्रदान तक ही सीमित नहीं होता है बल्कि यह किसी सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज का व्याकरण होता है जिसके मूल में मानव गरिमा और निष्पक्षता निहित होती है।

मानवाधिकारों के सुरक्षा और विकास के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। इनके रक्षा के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिबद्धता का ही परिणाम है कि महासभा द्वारा 20 दिसम्बर 1993 ई. को 'मानवाधिकार उच्चायुक्त' के पद का सृजन किया गया। जिसका दायित्व संयुक्त राष्ट्र संघ प्रणाली के मानवीय अधिकार सम्बन्धी क्रियाकलापों में समन्वय स्थापित करना है। इतना ही नहीं मानवधिकारों के रक्षा के दिशा में कदम बढ़ाते हुए महासभा के द्वारा मानवधिकार आयोग के स्थान पर अपने अधीन मानवधिकार परिषद नामक नयी संस्था की स्थापना 16 जून 2006 ई. को किया गया।

इसे विडम्बना नही तो और क्या कहा जायेगा कि एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ मानव अधिकारों के सुरक्षा की दृष्टि से सक्रिय दिखायी दे रहा है तो दूसरी तरफ आयु बढ़ने के साथ–साथ इस दिशा में उसका कार्यक्षेत्र संकुचित होता हुआ प्रतीत हो रहा है। आज दुनिया के कई देशों में मानवाधिकारों का व्यापक रूप में हनन हो रहा है किन्तु मानवाधिकार आयोग कुछ पक्षपातपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहा है क्योंकि उस पर महाशक्तियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया है। यह कहना अतिशयोक्ति पूर्ण नहीं है कि आज मानवाधिकार आयोग व संयुक्त राष्ट्र संघ सब कुछ अमेरिकी चश्में से देख रहें है। आयोग का मत है कि इजरायल, दक्षिण अफ्रीका और चिली ही ऐसे देश है जो यातना देने, विरोधियों

को कुचलने और राजनीतिक शत्रुओं को बन्दी बनाने के नीति पर लगातार चल रहें हैं। जबकि वर्तमान में विश्व के सौ से भी अधिक देशों में मानवाधिकारों का हनन खुद वहाँ के शासको द्वारा किया जा रहा है। जिसकी आयोग द्वारा पूर्ण रूप से अनदेखी की जा रही है।

अन्ततः कहा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ और मानवाधिकार आयोग मानव अधिकारों के सुरक्षा की दिशा में तभी पूर्ण सफलता प्राप्त कर सकते हैं जबकि वे निष्पक्ष होकर इस दिशा में सार्थक प्रयास करें और अपने को महाशक्तियों के चंगुल से बाहर निकालें। इसके लिए विश्व जनमत का जागृत होना भी आवश्यक है क्योंकि वर्तमान प्रजातान्त्रिक युग में कोई भी सरकार या अन्तर्राष्ट्रीय संस्था विश्व जनमत की अनदेखी नहीं कर सकता है। इसके लिए बुद्धिजीवी व समाजसेवियों का सहयोग भी अहम सिद्ध होगा।

सन्दर्भ

सिंह, अजय व विजय प्रताप मल्ल (2015) : *राजनीतिशास्त्र,* अग्रवाल पब्लिकेशन, आगरा

चाणक्य सिविल सर्विसेज टुडे, पृ.सं. 27, दिसम्बर 2003।

जैन, बसन्ती लाल (2009) : मानवाधिकार, सेन्ट्रल लॉ पब्लिकेशन इलाहाबाद